न्यायालय अति[redacted]ा कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौकरि[redacted] द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12/2025

प्रविष्टि दिनांक:- 21.05.2025

1. सुमित्रा देवी पुत्री जगदीश पत्नि रूपनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह हाल रामकृष्ण मन्दिर, टोंक तहसील व जिला टोंक

2. रूपनारायण शर्मा पुत्र भंवरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह हाल रामकृष्ण मन्दिर, टोंक तहसील व जिला टोंक

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1–सीताराम शर्मा पुत्र बजरंग लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

2–ग्राम पंचायत इन्दोकिया पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक जरिये सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)

.....गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत इन्दोकिया आबादी भूमि का विकय विलेख नियमन पत्र (पट्टा) सं. 12 दिनांक 20.01.2018

उपस्थितः (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक निगरानीकर्ता

(2) श्री अशोक कासलीवाल व श्री भागचन्द बैरवा, अभिभाषक गैर निगरानीकर्ता

निर्णय

दिनांक 30/10/25

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ने नॉन रिवीजनर संख्या 1 सीताराम शर्मा पुत्र बजरंग लाल शर्मा निवासी इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के हक में आबादी भूमि का विक्रय विलेख के आधार पर भूखण्ड वाके ग्राम इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक जिसका साईज पूर्व पश्चिम 62 x 25 फिट है, प्रस्ताव संख्या 1 दिनाक 20.01.2018 द्वारा भूमि नियमन पत्र (पट्टा) संख्या 12 दिनांक 20.01.2018 को जारी किया है, जिसे विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित बताते हुए निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे संबंधित पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर मूल निगरानी में उभयपक्ष को सुना।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत इन्दोकिया द्वारा उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) गलत रूप से बिना तथ्यों का विवेचन एव मनन किये एव पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य का भली प्रकार से मनन किये बिना आक्षेपित रूप से पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। तथाकथित सम्पत्ति नॉन रिवीजनर संख्या 1 का भूखण्ड नहीं है, उक्त प्लाट वाके ग्राम इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक रिवीजनर की सम्पत्ति है तथा रिवीजनर की सम्पत्ति के बाडे के बाहर स्थित है तथा रिवीजनर के प्लाट पर आने जाने का रास्ता हैं। उक्त रास्ते में प्रतिवादी सं. 1 ने नया कब्जा कर रास्ता बन्द करने पर आमदा है, जिसका नॉन रिवीजनर संख्या 1 को किसी तरह का कोई हक व अधिकार नही है। उसका मकान भी अन्य स्थान पर स्थित है ।

तथाकथित पट्टा 12 दिनाक 20.01.2018 को प्रस्ताव के द्वारा खुली बोली लगाने का तथ्य अंकित किया है, जबकि मौके पर किसी तरह की कोई खुली बोली नही लगाई है तथा नॉन रिवीजनर संख्या 2 ने रिवीजनर संख्या 1 से सांठ गांठ कर बिना किसी तरह की कार्यवाही निष्पादित किये व बोली लगाये उक्त तथाकथित पट्टा जारी किया गया है। उक्त तथाकथित भूमि रिवीजनर के भूखण्ड के पास स्थित होने व रिवीजनर के उपयोग व उपभोग एंव रास्ते के उपयोग की भूमि होने के कारण से प्रथम अधिकार रिवीजनर का था तथा रिवीजनर ने उक्त खाली भूमि को उसके बाडे के पास व रास्ते में आने जाने की भूमि होने के कारण 51,000/–रू. की बोली प्रस्तावित की थी किन्तु नॉन रिवीजनर 1 व 2 ने मिलीभगत कर साजिशी रूप से तथाकथित पट्टा संख्या 12 दिनाक 20.01.2018 जारी किया है, जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है।

नॉन रिवीजनर संख्या 2 के खाते में नॉन रिवीजनर संख्या 1 ने रसीद 28.02.2018 को राशि दिनाक 21,527/– रू. जमा कराई है। इसके बावजूद नॉन रिवीजनर संख्या 2 ने बिना राशि जमा हुए ही उक्त दिनाक से 8 दिन पूर्व ही नॉन रिवीजनर संख्या 1 के हक में पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तथाकथित पट्टा संख्या 12 दिनाक 20.01.2018 वाले प्लाट पर कभी भी एक दिन के लिए भी नॉन रिवीजनर संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा है । उक्त विवादित भूमि का भूमि नियमन पत्र (पट्टा) जारी करने से पूर्व विधिवत रूप से लिखित रूप में आपत्तियां मांगी जानी चाहिये थी, किन्तु ग्राम पंचायत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह ने ऐसा नहीं कर गलत रूप से मनमानी कर, एंव मिलीभगत कर भूमि नियमन पत्र (पट्टा) संख्या 12 नॉन रिवीजनर 1 के हक में जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

नॉन रिवीजनर ने उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) गुपचुप रूप से बिना रिवीजनर को किसी तरह की कोई सूचना दिये एंव कार्यवाही से अवगत कराये नान रिवीजनर संख्या 1 से मिलीभगत कर, एंव मौका का बिना निरीक्षण किये नॉन रिवीनर संख्या 1 ने गुप चुप तरीके से प्राप्त किया है। जबकि वास्तव में भूमि नियमन पत्र (पट्टा) संख्या 12 दिंनाक 20.01.2018 बिना मौका का निरीक्षण किये बाद में रिपोर्ट तैयार की है, जो फर्जी मौका रिपोर्ट है। उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) रिवीजनर संख्या 1 ने बिना रिवीजनर को नोटिस दिये व बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये गुपचुप रूप से पट्टा संख्या 12 दिनाक 20.01.2018 ग्राम इन्दोकिया तहसील व जिला टोडारायसिंह जिला टोंक जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 इस की इस समय 55 वर्ष की आयु है विपक्षी संख्या 1 विवादित स्थल पर 50 वर्षो से कब्जा होना बताता है, इस प्रकार उक्त प्रथम कब्जे की दिंनाक को नॉन रिवीजर संख्या 1 की आयु मात्र 5 वर्ष थी, इस प्रकार नॉन रिवीजनर का उक्त प्लाट पर कब्जा 50 वर्षो से होना संभव नहीं है, पट्टा संख्या 12 दिंनाक 20.01.2018 अपास्त किये जाने योग्य है। जबकि मौके पर रास्ते की भूमि पर काफी वर्षो अर्सा करीब पूर्वजों के समय से रिवीजनर का कब्जा के बाडे का रास्ते के रूप में चला आ रहा है।

नॉन रिवीजनर संख्या 1 के ओर से भूमि नियमन पत्र (पट्टा) संख्या 12 दिंनाक 20.01.2018 हेतु आवेदन पेश होने पर नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे तथा रिवीजनर पर किसी तरह के कोई नोटिस तामील कराये व बिना नोटिस जारी किये व बिना किसी तरह की कोई सूचना रिवीजनर को दिये नॉन रिवीजनर संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर केवल कागजी कार्यवाही कर तथ्यों को छुपा कर उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) जारी कराया गया है, जबकि वास्तव में मौके पर उक्त तथाकथित प्लाट की ओर रिवीजनर के आने जाने का रास्ता था। उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) रिवीजनर के हक में जारी किया जाने योग्य था इसके बावजूद नॉन रिवीजनर संख्या 2 ने विधि विरूद्ध कार्यवाही कर नॉन रिवीजनर संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण कार्यवाही फोरमेट में नाम पते भरकर साईक्लोसटाईल रूप से की गई है। रिवीजनर प्रार्थी ने उक्त विववादित स्थान के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत इन्दोकिया को प्रार्थनापत्र दिये हैं, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की है तथा नॉन रिवीजनर संख्या 1 से सांठ गाठ कर रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया है, रिवीजनर को उक्त पट्टा दिंनाक 20.01.2018 का ज्ञान गुपचुप तरीके से बिना विधिक कार्यवाही अपनाये किये जाने के कारण नही था । रिवीजनर को सर्व प्रथम ज्ञान नॉन रिवीजनर संख्या 1 द्वारा रिवीजनर के बाडे की रास्ते की भूमि पर रेवडियां डाल कर अतिक्रमण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

कर आमदा होने पर रिवीजनर ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश टोडारायसिंह टोंक के समक्ष सिविल वाद उनवानी सगोदरा उर्फ सुमित्रा बनाम सीताराम, दिनेश कुमार पेश करने पर नॉन रिवीजनर संख्या 1 ने अपने हक में पट्टा जारी होने के बारे में बताये जाने व पट्टे को पंजीयन हेतु पेश करने के लिए बताने पर अप्रेल में होने पर नकल हेतु बार बार जाने पर भी नकल जारी नहीं करने व बार बार जाने पर दिनाक 25.10.2018 को राशि 120/– रू जमा कर दिनाक 13.11.2018 को प्राप्त हुई जिसके बाद रिवीजनर ने रू. पैसों का इन्तजाम कर वकील साहब से मिलकर उक्त रिवीजनर तैयार कराई जो जानकारी के दिन से अन्दर मियाद पेश है, यदि किसी तरह का कोई विलम्ब माना जावे तो उसे कण्डोन करने हेतु प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र पृथक से प्रस्तुत है ।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा नॉन रिवीजनर सं. 1 के हक में जारी भूमि नियमन पत्र (पट्टा) संख्या 12 दिनांक 20.01.2018 अपास्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक नॉन निगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ता की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नॉन रिवीजनर संख्या 1 के हक में जारी पट्टा विधिसम्मत हैं। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा समस्त नियमों की पालना की गई है। उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 की स्वयं की भूमि है जिस पर विपक्षी मात्र का ही कब्जा चला आ रहा था। उक्त भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप में लिखित रूप में आपत्तियां मांगी गयी थी परन्तु अन्दर मियाद किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति पेश नहीं की थी। साथ ही पट्टा जारी किए जाने से पूर्व मौके का निरीक्षण भी किया गया था। इस प्रकार उक्त पट्टा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही की जाकर जारी किया गया था। विपक्षी सं. 1 को जारी पट्टा विधिविधान एवं तथ्यों के अनुकूल है एवं राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना में ही उक्त पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जाकर विपक्षी को जारी पट्टा थावत रखा जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व पट्टा पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ने नॉन रिवीजनर संख्या 1 सीताराम शर्मा पुत्र बजरंग लाल शर्मा निवासी इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के हक में आबादी भूमि का विक्रय विलेख के आधार पर भूखण्ड वाके ग्राम इन्दोकिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक जिसका साईज पूर्व पश्चिम 62 x 25 फिट है, प्रस्ताव संख्या 1 दिनाक 20.01.2018 द्वारा भूमि नियमन पत्र (पट्टा) संख्या 12 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

20.01.2018 को जारी किया है। उक्त पट्टे को विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त कराने हेतु रिवीजनर की ओर से यह रिवीजन पेश की गई है।

नॉन रिवीजनर सं. 1 को जारी पट्टे से संबंधित पत्रावली से स्पष्ट हैं कि उक्त भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप में लिखित रूप में आपत्तियां मांगी गयी थी परन्तु अन्दर मियाद किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति पेश नहीं की थी। साथ ही पट्टा जारी किए जाने से पूर्व मौके का निरीक्षण भी किया गया था। इस प्रकार उक्त पट्टा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही की जाकर जारी किया गया था। पट्टा पत्रावली में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न है जिसमें मोहल्लावासी ने उक्त पट्टा दिए जाने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होना बताया है। यदि निगरानीकर्ता को उक्त पट्टा जारी किए जाने पर आपत्ति थी तो तत्समय ही आपत्ति पेश करनी चाहिए थी परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति तत्समय पेश नहीं की गयी थी। निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने व उपयोग में लेने का कथन किया है परन्तु उक्त कथन की पुष्टि में किसी तरह का साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार निगरानीकर्ता ने उक्त पट्टे को विधिविरूद्ध सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य / सबूत / दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए है। उक्त पट्टा समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है।

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत इन्दोकिया पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा नॉन रिवीजनर सं. 1 के हक में जारी किया गया आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियमन पत्र (पट्टा) सं. 12 दिनांक 20.01.2018 उचित प्रतीत होता हैं।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता खारिज की जाकर ग्राम पंचायत इन्दोकिया पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा नॉन रिवीजनर सं. 1 के हक में जारी किया गया आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियमन पत्र (पट्टा) सं. 12 दिनांक 20.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अति0 जिला कलेक्टर
टोंक